भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3485

दिनांक 10.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में चेक बांध

3485. श्री एस. रामलिंगम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने संयुक्त जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कावेरी, कोल्लीडम और वेन्नार नदियों पर पांच स्थानों पर चेक बांध बनाने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 2400 करोड़ रुपये की विशेष वित्त सहायता की मांग करने वाले तमिलनाडु द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान जेजेएम के अंतर्गत तमिलनाडु को आवंटित और जारी की गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने स्वचालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संयुक्त जल आपूर्ति परियोजनाओं को मशीनों के साथ उन्नत करने के राज्य के ऐसे प्रस्ताव पर कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कावेरी और कोल्लीडम नदियों के अतिरिक्त पानी को आस-पास की झीलों और तालाबों में संग्रहीत करके समुद्र में बहने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने जेजेएम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के अनुरोध के अनुसार दो साल का विस्तार दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) : भारत सरकार, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, तमिलनाडु सहित राज्य ही पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) जेजेएम के अंतर्गत शुरू की जा रही

योजनाओं/परियोजनाओं का अनुमोदन करती है। अत: चेक बांध सहित अलग-अलग जल आपूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। प्रश्न में उल्लिखित अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आबंटित, जारी केंद्रीय निधियां और तमिलनाडु द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
	अथशेष	आवंटित निधि	राज्यों द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	1.49	373.87	373.10	378.67	114.58	99.14
2020-21	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
2021-22	377.48	3,691.21	614.35	998.83	457.55	496.23
2022-23	534.29	4,015.00	872.96	1407.25	594.64	665.28
2023-24*	812.60	3,615.56	एनडी	812.60	415.66	418.94

*08.08.2023 के अनुसार एनडी: आहरित नहीं

(ग) और (घ): जल स्रोतों में *अन्य बातों के साथ-साथ* भूजल (खुला कुआं, बोरवेल, नलकूप, हैण्डपम्प आदि), प्राचीन एवं परम्परागत सतही जल (नदी, जलाशय, झील, तालाब, झरने आदि) तथा छोटे टैंकों में संग्रहीत वर्षा जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति योजनाओं के स्रोतों के रूप में किया जा रहा है। जेजेएम के अंतर्गत, गांव के भीतर जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा, पेयजल स्रोतों के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन के लिए तथा जल की कमी, सूखा प्रवण और भरोसेमंद भूजल स्रोतों के बिना रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण के लिए अवसंरचना, शोधन और संवितरण प्रणालियों के लिए अवसंरचना के प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पंचायती राज संस्थाओं को सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाएं, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के साथ सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के प्रावधान भी जेजेएम के अंतर्गत परिकल्पित किए गए हैं।

(ङ): जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। 08.08.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक, जेजेएम के तहत पिछले 4 वर्षों में लगभग 9.53 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.08.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.41 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 12.76 करोड़ (65.75%) परिवारों को उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना मिली है और राज्यों को मिशन अवधि के दौरान शेष ग्रामीण परिवारों को कवर करने की सलाह दी गई है।

*****